न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 117/2019 **दायर दिनांकः 02/08/2019**

उनवान

1. पुरूषोत्तम आयु 36 वर्ष पुत्र भंवरलाल जाति धाकड़ निवासी सोडलहेड़ी तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. प्रबन्धक अडानी पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड कवाई तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. औमप्रकाश आयु 48 वर्ष पुत्र भागचन्द जाति धाकड़ निवासी सोडलहेडी हाल राजकीय सिनियर स्कूल के पास सालपुरा तहसील अटरू।
4. किशनगोपाल आयु 45 वर्ष पुत्र भागचन्द जाति धाकड़ निवासी सोडलहेड़ी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
5. सुशीला बाई आयु 43 वर्ष पुत्री भागचन्द पत्नी सत्यनारायण जाति धाकड़ निवासी पटना तहसील अटरू।
6. रूकमणी बाई आयु 40 वर्ष पुत्री भागचन्द पत्नी सुरजमल जाति धाकड़ निवासी सालपुरा स्टेशन तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 ए आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

आदेश दिनाक : 14/01/2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 ए आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट. का इस आशय का पेश किया है कि वादी के ग्राम सोडलहेडी की हाल खसरा संख्या 100 का ख0 न0 380 का रकबा 0.55 है० कुल किता 1 का रकबा 0.55 है० आराजी वादी के खाते दर्ज चली आ रही है । नकल वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 नक्शा ट्रेश वाद पत्र के साथ संलग्न है । जो काबिल गौर है। वादी के कब्जे एंव स्वामित्व की वाद पत्र की वर्णित मद० न0 1 मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.02 16:28:02 IST
Reason: SelfAttested

वर्णित आराजी राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे प्रतिवादीकम 2 के द्वारा व अधिनस्थ कर्मचारियो के द्वारा गफलत व लापरवाही पूर्ण कार्य करते हुये वादी के उपरोक्त वर्णित राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे प्रतिवादीकम 1 का नाम गलत दर्ज कर दिया गया है। जिसका प्रतिवादीकम 1 गलत व नाजायज फायदा उठाकर उक्त वर्णित आराजी पर से वादी को बेदखल करने पर आमाद है। जिसे वादी दुरस्त करा पाने का अधिकारी एंव नॉलिशी है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादीगण द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गौर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नही है अगर प्रतिवादीगण अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य मे सफल रहे और वादी को कब्जे काश्त की आराजी पर से बेदखल कर दिया तो वादी को अपने कब्जे काश्त की आराजी से वंचित होना पडेगा जिससे वादी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद मे अन्य प्रकार से होना सम्भव नही होगी। तथा वादी को अनेकानेक वाद विवादो मे उलझना पडेगा। इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय मे पेश किया गया हैं। यह कि वाद कारण प्रथम बार प्रतिवादीकम 2 के अधिनस्थ कर्मचारीगण द्वारा वाद पत्र की मद न0 1 मे वर्णित आराजी मे प्रतिवादीक्रम 1 का नाम दर्ज करने पर व अन्तिम बार दिनांक 15.06.2019 को वादी द्वारा उक्त आराजी की नकल जमाबन्दी प्राप्त करने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षैत्र मे उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी तहसील क्षेत्र अटरू मे स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायलय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं।

अतः माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर वादी विनयी है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की सादिर फरमायी जावें किः—

(अ) वाद पत्र की मद० नं० 1 मे वर्णित वादी के कब्जे एंव स्वामित्व की आराजी खाता संख्या 100 का ख0 नं0 380 का रकबा 0.55 है० कुल किता 1 का रकबा 0.55 है० मे से प्रतिवादीकम 1 नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे से हटाया जावें, तथा वादी को उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजी मे खातेदार कृषक घोषित किया जावें ऐसा करने का आदेश प्रतिवादीकम 2 को माननीय न्यायालय द्वारा दिया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.02 13:28:02 IST
Reason: SelfAttested

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 3 ल 6 से अभि[illegible] द्वारा उपस्थिति होकर कथन किया गया कि पुरूषोत्तम वादी के खाते से अड़ानी का नाम हटाया जाकर प्रतिवादी क्रम 3 ल 6 के खाते दर्ज किया जावें। जिसमें कोई आपत्ति नही है। अभिभाषकगण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन

किया गया। उपखण्ड कार्यालय अटरू की टिप्पणी व पटवारी हल्का गोरधनपुरा की रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी क्रम 3 ल 6 के पिता भागचन्द्र पुत्र धन्नालाल जाति धाकड़ निवासी सोडलहेड़ी के ग्राम सोडलहेडी के ख0नं0 380/817 रकबा 2.13 है0 में से 0.01 है0 भूमि अडानी पावर प्लांट द्वारा अवाप्त की गई थी जिसका भुगतान भागचन्द को हो चुका है। परन्तु सहवन से ख0नं0 857/380 के स्थान पर ख0नं0 380 रकबा 0.24 है0 अवाप्त सूची मे लिया गया था जिसका भुगतान खातेदार पुरूषोत्तम पुत्र भंवरलाल धाकड़ को कर दिया गया था, जबकि पाईप लाईन खातेदार भागचन्द/धन्नालाल के खेत में से निकली है। वादी पुरूषोत्तम को 155693 रूपये का भुगतान किया गया था बाद में वादी के खेत में से पाईप लाईन नही गुजरने के कारण वादी द्वारा राशि राजकोष मे जमा करा दी गई है।

उपरोक्त विवेचन कि आधार पर यह तथ्य सामने आया कि वादी की भूमि अवाप्त की गई थी लेकिन पाईप लाईन वादी के खेत से नही निकाली गई, तथा मुआवजा राशि भी वादी द्वारा प्राप्त की थी, वह राशि भी राजकोष में जमा करवायी गई। पाईप लाईन प्रतिवादीगण 3 ल 6 के खाते में से निकली है, उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम सोड़लहेड़ी की खाता संख्या 100 ख0नं0 380 रकबा 0.55 है0 में से 0.25 है0 पर से अड़ानी प्रोजेक्ट लिमिटेड़ कवाई का नाम हटाया जाकर प्रतिवादीगण का खाता संख्या 127 किता 4 रकबा 3.68 के ख0नं0 857/380 रकबा 1.46 है0 में से 0.25 है0 पर अड़ानी प्रोजेक्ट लिमिटेड़ कवाई का नाम दर्ज किया जावे। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार इन्द्राज दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.02 13:28:02 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 117/2019

उनवान

1. पुरूषोत्तम आयु 36 वर्ष पुत्र भंवरलाल जाति धाकड़ निवासी सोडलहेड़ी तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. प्रबन्धक अडानी पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड कवाई तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. औमप्रकाश आयु 48 वर्ष पुत्र भागचन्द जाति धाकड़ निवासी सोडलहेडी हाल राजकीय सिनियर स्कूल के पास सालपुरा तहसील अटरू।
4. किशनगोपाल आयु 45 वर्ष पुत्र भागचन्द जाति धाकड़ निवासी सोडलहेड़ी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
5. सुशीला बाई आयु 43 वर्ष पुत्री भागचन्द पत्नी सत्यनारायण जाति धाकड़ निवासी पटना तहसील अटरू।
6. रूकमणी बाई आयु 40 वर्ष पुत्री भागचन्द पत्नी सुरजमल जाति धाकड़ निवासी सालपुरा स्टेशन तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 ए आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................ रूबरू..............X..............................

बहाजिर :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।
मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम सोड़लहेड़ी की खाता संख्या 100 ख0नं0 380 रकबा 0.55 है0 में से 0.25 है0 पर से अड़ानी प्रोजेक्ट लिमिटेड़ कवाई का नाम हटाया जाकर प्रतिवादीगण का खाता संख्या 127 किता 4 रकबा 3.68 के ख0नं0 857/380 रकबा 1.46 है0 में से 0.25 है0 पर अड़ानी प्रोजेक्ट लिमिटेड़ कवाई का नाम दर्ज किया जावे। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार इन्द्राज दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X..................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 14.01.2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

	मुदई		**मुदालयह**
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.02 13:28:02 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)